चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 16.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 16.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में एक सार्थक पहल करते हुए व्हाट्सएप पर सक्रिय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को डिजिटल वालंटियर्स के रूप मे जोड़ा गया था। वर्ष 2023 में उ0प्र0 पुलिस के समस्त पुलिसकर्मियों को जोड़कर "व्हाट्सएप कम्यूनिटी ग्रुप" भी बनाए गए है, जिनकी सहायता से भ्रामक खबरों का खण्डन एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उ0प्र0 पुलिस के अभियान में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भागीदारी हेतु "डिजिटल वॉरियर" बनाए जाने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में नोडल अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक जनसूचना सेल श्री जयप्रकाश उपाध्याय एवं साइबर टीम के आरक्षी प्रशांत कुमार,आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्विद्यालय में साइबर जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को "डिजिटल वॉरियर" के सम्बन्ध में एवं साइबर योद्धा के बारे में जानकारी दी गयी जिसमें सभी को बताया गया कि किसी भी जानकारी का विश्लेषण और सत्यापन करके उ0प्र0 पुलिस के "डिजिटल वॉरियर" बनकर, साइबर क्राइम एवं फेक न्यूज़ को रिपोर्ट करें साथ ही छात्र अपने सामाजिक दायरे में फेक न्यूज़ एवं साइबर अपराध के प्रति अपने परिवारीजनों एवं मित्रों को भी जागरूक करते रहे। महाविद्यालय प्रबन्धन से आग्रह करके 'साइबर क्लब' स्थापित करवाया गया एवं एक शिक्षक को इसका नोडल अधिकारी नामित करवाया गया।

(4). आज दिनाँक 16.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण द्वारा विभागीय परीक्षा देकर दिनाँक 27.12.2024 को एएसआई के पद पर प्रोन्नत हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर संदीप पटेल के कन्धों पर स्टार लगाकर अलंकृत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना बहिलपुरवा में तकनीकी कार्य देख रहे प्रोन्नति पाने वाले ए0एस0आई संदीप पटेल का मुंह मीठा कराया गया तथा मन लगन से ड्यूटी करने हेतु बताते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

इस दौरान थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह ,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं कार्यालय में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा दिनांक 15.01.2025 कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 513/2012 धारा 2 राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रमेशचंद्र श्रीवास्तव पुत्र जगतनारायण श्रीवास्तव निवासी तपसी मंदिर के पीछे कालू कुआं बांदा थाना बांदा जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि की उपस्थिति में थाना पहाड़ी में तत्कालीन थानाध्यक्ष शहीद प्रभुनाथ पाण्डेय की मूर्ति का जीर्णोद्धार किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि वर्ष 1985 में श्री प्रभुनाथ पाण्डेय तत्कालीन थानाध्यक्ष पहाड़ी जनपद चित्रकूट के पद पर नियुक्त

थे। दिनांक 28.02.1985 को मुखबिर द्वारा बदमाशों की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मय फोर्स के ग्राम ओरा पहुंचे जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। श्री पी0एन0 पाण्डेय बदमाशों से अपने हमराही कर्मचारीगणो के साथ कर्मठता एवं बहादुरी का परिचय देते हुए बदमाशों से मुकाबला किया। बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान श्री प्रभुनाथ पाण्डेय तत्कालीन थानाध्यक्ष पहाड़ी जनपद चित्रकूट को अचानक गोली लगी और मौके पर शहीद हो गये। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/1985 धारा 147/148/149/302/307 भादवि बनाम 1. प्रकाश नारायण पुत्र सुन्दर लाल 2. प्रेमनारायण पुत्र सुन्दरलाल 3. शिवनारायण पुत्र सुन्दरलाल निवासी गण ग्राम ओरा थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 4. राजेन्द्र गोसाईं पुत्र नत्थू गोसांई निवासी गोसाईंपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु तत्कालीन श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा द्वारा टीमें गठित की गयी। पुलिस टीम के अथक प्रयास से अभियुक्त राजेन्द्र गोसाईं पुत्र नत्थू गोसांई निवासी गोसाईंपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को रैपुरा थाना क्षेत्र पर मुठभेड़ के दौरान जुलाई 1985 को मारा गया था।
श्री प्रभुनाथ पाण्डेय के पिता श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय उर्फ चिक्कन गुरु उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त थे। श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पहलवान थे , उन्होने 1956 मेल बर्न ओलम्पिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था तथा 1958 में कामन वेल्थ गेम भारत के लिए सिल्वर पदक प्राप्त किया था। अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले व्यक्ति थे,जिन्होनें यह पदक जीता था तत्पश्चात महोदय द्वारा थाना परिसर में नये मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया
इस दौरान प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

कलेक्ट्रैट सभागार में अभियोजन के सम्बन्ध में मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया

आज दिनाँक 16.01.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था, अभियोजन एवं महिला अपराधों की विशेष समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। पुलिस अधीक्षक ने एससी/ एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, आयुध अधिनियम, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, आईपीसी धारा, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य अधिनियम, सम्मन तामिल, गवाहों की उपस्थिति, जमानत, टॉप-10 अपराधों, सड़क सुरक्षा, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी, ओवर लोड वाहनों पर कार्यवाही, अवैध शराब पर प्रतिबंध, गैंगस्टर, वैध ऑटो स्टैंड, गौवंश तस्करी, महिला संबंधित विशेष समीक्षा आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि महिला संबंधी मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्मन तामिला के संबंध में सभी थाना प्रभारीयों को निर्देशित किया कि गवाहों को न्यायालय में भेजते रहें जिससे कि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण होता रहे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को सरकार पेट्रोल का पैसा देती है आप लोग अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे। उन्होंने आर्म्स एक्ट के संबंध में कहा कि शासन का सख्त निर्देश है कि प्राथमिकता के आधार पर गवाहों को बुलाएं। थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिए कि आर्म्स एक्ट के मामलों पर पुलिस की गवाही सुनिश्चित कराई जाए अगर कहीं पर कोई समस्या हो तो अवगत कराए उसका निस्तारण कराया जाएगा, आप लोगों को जो सूची भेजी

गई है उसमें सभी गवाही कराकर प्रत्येक दशा में इसी माह में निस्तारण कराया जाए, सम्मन तामिल समय से कराया जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिरकारी मऊ श्री जयकरन सिंह एवं शासकीय अधिवक्तागण मौजूद रहे।